

प्रसार भारती/Prasar Bharati

(भारत का लोक सेवा प्रसारक/ (India's Public Service Broadcaster)

राष्ट्रीय प्रसारण एवं मल्टीमीडिया अकादमी/National Academy of Broadcasting and Multimedia

रेडियो कालोनी/Radio Colony, किंगजवे /Kingsway : दिल्ली/Delhi-110009.

संख्या: रा.प्र.म.अ.-3(2)/ 2019-20/मोटर वाहन/6884

दिनांक: 13 NOV 2019

विषय: किराये पर वाहन लेने हेतु भावदर का आमंत्रण ।

इस कार्यालय को समय-समय पर पड़ने वाली आवश्यकता के अनुसार किराए पर वाहन दिल्ली/NCR में उपलब्ध कराने हेतु नीचे दिए गए प्रपत्र के अनुसार मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं ।

क्र. सं.	वाहन	दर (रूपये में) (80 किमी- 8घन्टे)	दर अतिरिक्त किमी. (रूपये में)	दर अतिरिक्त घन्टे (रूपये में)	GST
1.	AC Bus 16 Seater (2x2)				
2.	AC Bus 23 Seater & above 3x2 or 2x2				
3.	AC Bus 35 Seater & above 3x2 or 2x2				
4.	Non AC Bus 16 Seater (2x2)				
5.	Non AC Bus 23 Seater & above (3x2)				
6.	Non AC Bus 35 Seater & above (3x2)				
7.	Innova or equivalent vehicle				

* Parking charges will be paid extra as per actual.

नियम व शर्तें

1. EMD राष्ट्रीय प्रसारण एवं मल्टीमीडिया अकादमी, किंगजवे, दिल्ली -110009 के नाम से कार्यालय में लेखा अनुभाग में जमा कराएँ ।
2. भावदर इस संस्थान में दिनांक 22-11-2019 तक, समय 1430 बजे तक जमा होगी तथा उसी दिन 1500 बजे फर्मों के प्रतिनिधियों के उपस्थिति में खोली जाएगी, जो भी उस समय उपस्थित होंगे ।
3. भावदर को डाक द्वारा भेज सकते हैं या कार्यालय के बरामदे (कोरीडोर) में रखे निविदा पेटी में डाल सकते हैं ।
4. भावदर की वैध अवधि एक वर्ष होनी चाहिए ।
5. वाहन दुर्घटनाग्रस्त, वाहन चालक के दुर्घटनाग्रस्त, जान-माल की हानि या अन्य कोई भी नुकसान होने पर फर्म की जिम्मेदारी होगी, कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
6. फर्म का GST नम्बर होना अनिवार्य है । GST नम्बर की प्रतिलिपि निविदा के साथ में लगाना अनिवार्य है अन्यथा निविदा वैध नहीं मानी जाएगी । GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रतिकायालय में जमा कराना होगा ।

7. PAN कार्ड की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी ।
8. वाहन का वैध परमिट होना चाहिए ।
9. चुने जाने पर अनुबंध की एक कॉपी सहमति के रूप में हस्ताक्षर कर लौटानी होगी ।
10. वाहन चालक के पास वाहन के पेपर, वैध लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण-पत्र आदि होने चाहिए इस संबंध में फर्म को गारंटी लेनी होगी ।
11. वाहन चालक को दिल्ली के सभी रूटों की जानकारी होनी चाहिए ।
12. उपलब्ध कराए गए वाहन तकनीकी तोर पर फिट होने के साथ-साथ देखने में सुन्दर और स्वच्छ होने चाहिए ।
13. ठेकेदार द्वारा दिए गए बिल से टी.डी.एस. काट कर भुगतान किया जाएगा ।
14. यदि किसी कारण से वाहन रास्तों में खराब हो जाता है तो फर्म को वाहन खराब होने के स्थान पर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा जिसका खर्च फर्म को भुगताना होगा ।
15. वाहन की मीटर की रीडिंग व समय राष्ट्रीय प्रसारण एवं मल्टीमीडिया अकादमी, किंगजवे, से राष्ट्रीय प्रसारण एवं मल्टीमीडिया अकादमी, किंगजवे, तक होगी ।
16. फर्म को कार्यालय व घर के टेलीफोन नम्बर सूचित करने आवश्यक हैं ।
17. सी.एन.जी. या अन्य पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य बढ़ने पर अनुबंधित दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी ।
18. यदि किसी कारण से किसी दिन आप गाड़ी उपलब्ध करने में असमर्थ रहे तो कार्यालय द्वारा दूसरी गाड़ी मार्केट से बुक कर ली जाएगी और आपके द्वारा दिए गए रेट से ज्यादा पैसे गाड़ी बुक करने हेतु देने पड़े तो वह अतिरिक्त राशि आपके अगले बिल से काट कर आपको भुगतान किया जाएगा ।
19. सभी बिलों के भुगतान NEFT/RTGS द्वारा ही किया जाएगा ।
20. फर्म को रुपये 10000/- का ड्राफ्ट कार्यालय में प्रतिभूति के रूप में DDO, STI(T), AIR & Doordarshan, Kingsway, Delhi के नाम से जमा करवाना होगा । बिना ड्राफ्ट के निविदा मान्य नहीं होगी ।
21. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर देय भुगतान पर 25 प्रतिशत की दर से दंड लगाया जा सकता है ।
22. अपर महानिदेशक (प्रशिक्षण) राष्ट्रीय प्रसारण एवं मल्टीमीडिया अकादमी, किंगजवे, दिल्ली-110009 को अनुबंध को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित हैं ।
23. निविदाओं का तुलनात्मक विश्लेषण 80 किमी- 8 घण्टे की दर पर किया जायेगा ।
24. केवल commercial बस की सर्विस ही मान्य होगी ।
25. Performance guaranty Rs, 30,000/- होगी ।



(अनिल कुमार खुराना)
आहरण एवं संवितरण अधिकारी
कृत्ते अपर महानिदेशक (तक.)